न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 380 / 2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2007 / 00011

वादीगण	प्रतिवादीगण
1 मृतक मंगला पुत्र दोलता नाई	01 मृतवफी माधा पुत्र दोलता नाई
के कायम मुकाम व वारिसान्	के कायम मुकाम वारिसान्
1 रूपा पुत्र मंगला फौत के कायम मुकाम वारिसान्	1 नैना पुत्र माधा फौत के कायम मुकाम
अ–कसु पुत्र रूपा	अ–मृतवफी गणेशा पुत्र नैना, जाति–
ब–ईसरा पुत्र रूपा,	नाई के कायम मुकाम व वारिसान्
स–बाबु पुत्र रूपा	1 बाबु पुत्र गणेशा
द–नरसी पुत्र रूपा	2 चम्पालाल पुत्र गणेशा
य–पांचा पुत्र रूपा	3 सुखराम पुत्र गणेशा
जातियान–नाई, साकिन–डडुसन	4 सुआ पुत्री गणेशा
तहसील–सांचौर, जिला–जालोर	5 शांति पुत्री गणेशा
	6 पवन पुत्री गणेशा
	ब–हीरा पुत्र नैना फौत के कायम मुकाम व वारिसान्
	1 लखाराम पुत्र हीरा, जाति–नाई, निवासी–डडुसन
	2 मृतवफी मांगीलाल पुत्र हीरा, जाति–
	नाई के कायम मुकाम व वारिसान्
	अ–रवी पुत्र मांगीलाल, जाति–नाई, नि–डडुसन
	ब–लीला बैवा मांगीलाल, जाति–नाई, नि–डडुसन
	3 निम्बा पुत्र हीरा
	4 पूंजाराम पुत्र हीरा
	5 सूंगणी बैवा हीरा
	स–मृतवफी भूरा पुत्र नैना, जाति–नाई
	के कायम मुकाम व वारिसान्
	1 विरमा पुत्र भूरा
	2 श्रवण पुत्र भूरा
	3 गुलसे पुत्र भूरा
	4 सुआ बैवा भूरा
	जातियान–नाई, निवासीगण–डडुसन
	द–मोहन पुत्र नैना, जाति–नाई, निवासी–डडुसन
	2 खेता पुत्र माधा फौत के कायम मुकाम व वारिसान्

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:37:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रैक) सांचौर

अ–हनुमान पुत्र खेता

ब–सोना पुत्र खेता

स–जगदीश पुत्र खेता

द–केवला पुत्र खेता

जातियान–नाई, निवासीगण–डडुसन

तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

3 सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर

तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

दावा बाबत् इस्तकरारहक एवं खातेदारी एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 04.08.2011

उपस्थिति :–

1. वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालोत उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण एकपक्षीय।

:– निर्णय :– दिनांक :– 21.07.2025

वादीगण ने वाद बाबत् इस्तकरार हक खातेदारी एवं बंटवाड़ा, जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसके संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि पक्षकारान् आपस में चाचाई भाई है तथा हमारे दादा का नाम दोला उर्फ दोलता था। दौला के दो पुत्र माधा व मंगला है। हम वादीगण मंगला के वंशज है। हम वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित भूमि वांके सरहद मौजा डडुसन मे पुराना खेत खसरा संख्या 9 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 116 रकबा 27 बीघा 10 बीस्वा, खसरा संख्या 63 रकबा 45 बीघा, खसरा संख्या 62 रकबा 14 बिस्वा, जुमले रकबा 82 बीघा 9 बिस्वा के आये हुए है। दौला के दो पुत्रगण माधा एवं मंगला होने से प्रत्येक परिवार का 1/2, 1/2 हिस्सा होने से हम वादीगण के बंट में 41 बीघा 4 बिस्वा भूमि कब्जे काश्त में तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के बन्ट में है। पुराना खसरा संख्या 9 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा के नवसृजित खेत खसरा संख्या 19 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा संख्या 20 रकबा 0.78 हैक्टेयर, पुराना खसरा संख्या 116 के नवीन खसरा संख्या 221 रकबा 2.15 हैक्टेयर, खसरा संख्या 222 रकबा 2.30 हैक्टेयर व पुराना खसरा संख्या 62 के नवीन खसरा संख्या [illegible] रकबा [illegible] हैक्टेयर पुराना खसरा संख्या 63 के नवीन खसरा संख्या 325 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा संख्या 326 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा संख्या 327 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा संख्या 328 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा संख्या 329 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा संख्या 332 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा संख्या 334 रकबा 1.45 हैक्टेयर, खसरा संख्या 335 रकबा 0.82 हैक्टेयर, खसरा संख्या 333/886 रकबा 0.11 हैक्टेयर जुमले कुल खसरा 14 व जुमले रकबा 13.35 हैक्टेयर जिसमें हक वादीगण के दादा मंगला का 1/2 हिस्सा अनुसार रकबा 6.675 हैक्टैयर भूमि बंट में आती है तथा मौके पर हम वादीगण काबिज है तथा बिगोड़ी भी आधी आधी अदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:37:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रैक) सांचौर

करते है। रकबा 6.675 हैक्टेयर हम वादीगण की है तथा अन्दर हमारी ढ़ाणीयां बनी हुई है। हमारी भूमि खसरा संख्या 221, 222 में से नर्मदा नहर निकलने वाली है इस हेतु हमें नोटिस दिया है जिस पर हम वादीगण ने तहसील कार्यालय से तहकीकात की तो मालूमात हुआ कि हम वादीगण के खाते में भूमि कम है। नवीन खसरा संख्या 325, 326, 327, 328, 329, 332, 333, 333/886, 334, 335 आदि जुमले रकबा 7.40 हैक्टेयर भूमि में हम वादीगण का नाम ही नहीं है जिस पर हमने प्रतिवादीगण को कहा कि हमारा नाम इन खसरा नम्बरान की भूमि में क्यों नहीं है तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं राज जाने हमने हमारे नाम ब्यान करने का कहा तो उन्होंने कहा कि नोटिस आयेगा तो हम ब्यान करने को तैयार है किन्तु भूमि की किमत बढ़ने से प्रतिवादीगण की नियत में फर्क आ गया व बारीश होने पर प्रतिवादीगण ने कहा कि तुम्हारे पक्ष में ब्यान नहीं करेंगे तथा हमें कब्जा छोड़ने की धमकीयां दी अन्त में वादीगण ने अपने वाद में इस्तदुआ चाही कि वांके सरहद डडूसन के पुराना खसरा संख्या 9 जिसके नवीन खसरा संख्या 19 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा संख्या 20 रकबा 0.78 हैक्टेयर व पुराना खसरा संख्या 116 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा के नवीन खेत खसरा संख्या 221 रकबा 2.15 हैक्टेयर, खसरा संख्या 222 रकबा 2.30 हैक्टेयर व पुराना खेत खसरा संख्या 62 रकबा 14 बिस्वा से नवसृजित खसरा संख्या 333 रकबा 0.11 हैक्टेयर व पुराना खेत खसरा संख्या 63 रकबा 45 बीघा के नवीन खेत खसरा संख्या 325, 326, 327, 328, 329, 332, 334, 335, 333/886, 333 जुमले रकबा 13.55 हैक्टेयर जिससे हम वादीगण के दादा मंगला के परिवार हम वादीगण का 1/2 हिस्सा अनुसार रकबा 6.675 हैक्टेयर भूमि बंट में आने से हक वादीगण रकबा 6.675 हैक्टेयर की खातेदारी पाने के अधिकारी है तथा खसरा संख्या 19, 20, 221, 222 की भूमि में हम वादीगण के पिता रूपा वल्द मंगला की खातेदारी से हम वादीगण का नाम म्यूटेशन दूरूस्ती हो गई है किन्तु भूमि अलग से तरमीम नहीं कि गई है जो कि जावें एवं खसरा संख्या 325 से 329 व 332 से 335 व 333/886 जुमले रकबा 7.40 हैक्टेयर भूमि मे हम वादीगण के पिता व हम वादीगण का नाम नहीं होने से हम वादीगण का नाम 1/2 हिस्से में इन्द्राज किया जावें जूमले रकबा 13.35 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा अनुसार 6.675 हैक्टेयर भूमि हमारे नाम घोषित की जाकर तथा बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर बंटवाड़ा की डिक्री सादिर फरमावें तथा 6.675 हैक्टेयर भूमि पर हम वादीगण का काश्त कब्जा होने से हम वादीगण के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री सादिर फरमावें।

वादीगण का वाद बाद [illegible] किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। [illegible]लाल, निम्बा, हरा (हरिराम), पूंजाराम, सुगणी, भूरा, मोहन, हनुमान, सोना, जगदीश, [illegible]ला, धनी आदि ने उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता वाद का जवाबदावा पेश किया जिसके संक्षिप्त के तथ्य इस प्रकार है कि 1/2 हिस्सा वादीगण का होने के तथ्य गलत दर्शित किये गये है तथा खसरा संख्या 63 रकबा 45 बीघा का 1/2 हिस्सा रूपा संपूर्ण हिस्सा प्रतिवादीगण लखाराम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:37:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

मांगीलाल, हरीराम, पूंजाराम पिसरान हिराराम व निम्बा पुत्र हिरा, सुगणी बैवा हीरा को दिनांक 01.10.1991 को जरिये रजिस्टर्ड सेल डिड से बेचान कर दिया है जिसकी जमाबंदी कायम हो गई है व उस पर कब्जा हम प्रतिवादीगण का है तथा उक्त बैचान पेटे 50,000 रूपये रूपा ने प्राप्त कर लिये है। वर्तमान जमाबंदी में खसरा संख्या 222, रकबा 2.30 हैक्टेयर व खसरा संख्या 20 रकबा 0.78 हैक्टेयर वादीगण के पास है। खसरा संख्या 221 रकबा 2.15 हैक्टेयर व खसरा संख्या 19 रकबा 0.72 हैक्टेयर भूमि हम प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में है। इस प्रकार हम प्रतिवादीगण के पास इन खसरा संख्या 222 में रकबा 0.15 हैक्टेयर भूमि कम है तथा खसरा संख्या 19 रकबा 0.6 हैक्टेयर भूमि कम है जो वादीगण से दिलाया जाना न्यायोचित है शेष सभी खसरा नंबर प्रतिवादीगण द्वारा 1/2 हिस्सा खरीद करने से वादीगण का कोई हक बाकी नहीं बचा है तथा वादीगण द्वारा अपना 1/2 हिस्सा 16 वर्ष पूर्व बेचान कर दिया था जिसकी जानकारी वादीगण को थी इस कारण वादीगण का वाद म्याद बाहर है अन्त में प्रतिवादीगण ने वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया।

उपरोक्त वाद एवं जवाबदावा के अनुसार प्रकरण में निम्न विवाधक कायम किये गए :–

1. आया वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्से के तथा प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्से की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

(जिम्मे वादी)

2. आया खसरा संख्या 19, 20, 221, 222 में अलग से तरमीम की जावें।

(जिम्मेवादी)

3. आया वादग्रस्त आराजी भूमि में वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री विरूद्व प्रतिवादीण प्राप्त करने के अधिकारी है।

(जिम्मेवादी)

4. आया वादीगण ने अपना 1/2 हिस्सा 16 वर्ष पूर्व बेचान कर दिया था। राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद भी हो गया था। दावा म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है।

(जिम्मे प्रतिवादी)

प्रकरण में प्रतिवादीगण अनुपस्थित होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण की ओर से गवाह पीडब्ल्यू–1 नरसी, पीडब्ल्यू–2 कोजाराम, पीडब्ल्यू–3 बाबुलाल उपस्थित हुए जिनके ब्यान लेखबद्व किये गए। गवाह पीडब्ल्यू–1 नरसीराम ने उपस्थित होकर वाद का समर्थन करते हुए जमाबंदी [illegible] से 2019 प्रदर्श–1, जमाबंदी 2030 से 2033 प्रदर्श–2, जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 प्रदर्श–3, जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 प्रदर्श–4, जमाबंदी संवत् 2059 से 2062 प्रदर्श–5, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–6, जमाबंदी खाता संख्या 81 प्रदर्श–7, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–8, नक्शा ट्रैश प्रदर्श–9 व नहर विभाग द्वारा जारी नोटिस प्रदर्श–10 प्रदर्शित करवाये गये वादी के गवाह पीडब्ल्यू–2 कोजाराम व पीडब्ल्यू–3 बाबुलाल ने वादीगण के वाद का समर्थन करते हुए अपने सशपथ बयानों में बताया कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण की पैतृक संपति है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:37:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

उक्त आराजी में वादीगण कसु वगैरह का 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण का आया हुआ है व 1/2 हिस्से पर आज भी वादीगण का काश्त कब्जा है तथा दौला के 2 लड़के है क्रमशः माधा एवं मगला थे। वादीगण की भूमि प्रतिवादीगण ने उनके नाम करवाने हेतु कुछ वर्ष पूर्व हमारे रूबरू कहा था किन्तु बाद में वह नट गये थे इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू–3 बाबुलाल ने भी अपने सशपथ बयानों में उपस्थित होकर वादीगण के वाद का समर्थन करते हुए उपरोक्त आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा होना व उस पर कब्जा काश्त होना बताया है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि मौजा डडुसन में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार की आराजी की खातेदारी आई हुई है। वादीगण के पड़दादा का नाम दौला उर्फ दोलता था। दोला के दो पुत्र माधा एवं मंगला थे। वादीगण मंगला के वंशज है जिसकी वंशावली वाद के साथ पेश की हुई है तथा वंशावली अनुसार उक्त आराजी में वादीगण 1/2 हिस्सा की भूमि की खातेदारी पाने के अधिकारी है किन्तु वादीगण के नाम मात्र नवीन खेत खसरा संख्या 19, 20, 221, 222, ही भूमि दर्ज की गई तथा शेष खसरा सख्या 325 से 329, 332 से 335 व 333/886 जुमले रकबा 7.40 हैक्टेयर भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा कानूनन होते हुए वादीगण को उनके हक से वंचित कर उपरोक्त आराजी की पूरी की पूरी खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई जो गलत है। प्रतिवादीगण लखाराम वगैरह द्वारा उक्त आराजी रूपा वल्द मंगला द्वारा दिनांक 01.10.1991 को उनके पक्ष में बेचान करना बताया गया किन्तु अगर रूपा द्वारा उक्त आराजी प्रतिवादीगण लखाराम वगैरह को बेचान की होती तो प्रतिवादीगण लखाराम वगैरह ऐसा दस्तावेज जो उनके पक्ष में रजिस्टर्ड हुआ को न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रदर्शित करवाते किन्तु प्रतिवादीगण लखाराम वगैरह द्वारा ऐसा कोई बेचान दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया गया है तथा अगर यह मान भी लिया जावें कि रूपा द्वारा ऐसा कोई बेचान दस्तावेज प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित करवाया है तो ऐसा बेचान दस्तावेज वादीगण के लिए शून्य व अवैध बेचान दस्तावेज है चूंकि उक्त आराजी वादीगण की पैतृक संपति होने से रूपा को मात्र 1/12 हिस्सा से अधिक भूमि बेचान करने का कानूनी अधिकार कतई न तो था व न है चूंकि वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक संपति है तथा वादीगण को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त वादग्रस्त आराजी में बाय बर्थ उनका हक व हिस्सा बनता है रूपा द्वारा करवाया गया ऐसा बेचान दस्तावेज वादीगण के लिए शून्य व बेअसर है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने **आर.आर.टी/2019(2) पेज संख्या 1039 बगतराम वगैरह बनाम बालकिशन उर्फ बलराम किशन वगैरह की नजीरात, आर.आर.डी 1997 पेज संख्या 486 धर्मचन्द बनाम बोर्ड ऑफ रेवन्यू व आर.आर.डी 2015 पेज संख्या 510 कुलवीर सिंह वगैरह बनाम बोर्ड ऑफ रेवन्यू** की नजीरात पेश कर ध्यान आकर्षित करवाया गया कि ऐसा दस्तावेज वादीगण के लिए शून्य व बेअसर है। इसी प्रकार उक्त वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:37:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

में प्रतिवादीगण द्वारा न तो कोई अपनी ओर से साक्ष्य पेश किये है न ही वादीगण की और से पेश साक्ष्य का खण्डन किया है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने **डी.एन.जे 2000–2001 राजस्थान** सप्लीमेन्टरी **पेज संख्या 245 चौकसी एण्ड कम्पनी बनाम बंशीराम करतारचन्द वगैरह** की नजीरात पेश कर निवेदन किया कि जब प्रतिवादी कोई साक्ष्य पेश नहीं करे तो ऐसे प्रकरणों में डिक्री ही सादिर की जावेगी। अन्त में विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने बहस में निवेदन किया कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत नजीरात का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया प्रकरण में तनकीयात वाईज निर्णय इस प्रकार है :–

1. <u>तनकी संख्या 01 :–</u> इस संबंध मं वादीगण की ओर से जमाबंदी प्रदर्श–1, जमाबंदी प्रदर्श–2, जमाबंदी प्रदर्श–3, जमाबंदी प्रदर्श–4 व 5, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–6, जमाबंदी प्रदर्श–7, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–8 व नक्शा ट्रैश प्रदर्श–9 व नोटिस प्रदर्श–10 पेश किया उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादीगण पर है। इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा मात्र जवाब दावा पेश कर बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या पुराना 663 रकबा 45 बीघा में से व खसरा संख्या 62 रकबा 14 बिस्वा भूमि में से रूपा ने उसका संपूर्ण हिस्सा यानि 1/2 हिस्सा हम प्रतिवादीगण को बेचान कर दिया गया है। इस कारण वादीगण खातेदारी पाने के कतई अधिकार नहीं है। पुराना खसरा संख्या 63 रकबा 45 बीघा से नवीन खेत खसरा संख्या 325 रकबा 1.25 हैक्टेयर, खसरा संख्या 326 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा संख्या 327 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा संख्या 328 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा संख्या 329 रकबा 0.49 हेक्टेयर, खसरा संख्या 332 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा संख्या 334 रकबा 1.45 हैक्टेयर, खसरा संख्या 335 रकबा 0.82 हैक्टेयर, खसरा संख्या 333/886 रकबा 0.11 हैक्टेयर व पुराना खसरा संख्या 62 से नवसृजित खसरा संख्या 333 रकबा 0.11 नवसृजित हुए तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा के कथनों अनुसार उक्त आराजी वादीगण के पिता रूपा द्वारा प्रतिवादी लखाराम, मांगीलाल, निम्बाराम, हरिराम, पूंजाराम पिसरान हिराराम को बेचान करना बताया गया किन्तु जमाबंदी प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि उक्त जमाबंदी मादा व मंगला पिसरान दौलता कौम नाई के नाम दर्ज होना पाया जाता है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वंशावली अनुसार वादीगण मंगला के पौ[illegible] यह स्पष्ट साबित है कि उक्त आराजी वादीगण की पैतृक संपति है तो उक्त आरा[illegible] से बैचानकर्ता रूपा को 1/12 हिस्सा से अधिक भूमि [illegible] अधिकार नहीं है चूंकि रूपा के पांच पुत्र कशु, ईशरा, बाबु, नरसी व पांचा है या[illegible]तवफी मंगला पुत्र दौलत के कुल 6 उतराधिकारी होने से उक्त आराजी अकेले रूपा को बेचान करने का अधिकार नहीं है यानि उसके हिस्से से अधिक भूमि बेचान करने का कतई अधिकार नहीं है। उपरान्त प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई भी बेचान दस्तावेज को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:37:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्ट्रेक) सांचौर

उपस्थित होकर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है ऐसी सुरत में उक्त बेचान दस्तावेज को वैध नहीं माना जा सकता। इस प्रकार वर्तमान खसरा संख्या 325, 326, 327, 328, 329, 332, 334, 335, 333/886, 333 जुमले रकबा 7.40 हैक्टेयर भूमि में से रूपा का 1/12 हिस्सा अनुसार रूपा के हक में रकबा 0.6166 हैक्टेयर भूमि का कानूनन हक व बैचान करने का अधिकार था किन्तु प्रतिवादीगण लखाराम, मांगीलाल, निम्बाराम, हरिराम, पूंजाराम पिसरान हीराराम जातियान–नाई को रकबा 3.70 हैक्टेयर भूमि बेचान करना जाहिर किया है जो प्रस्तुत नजीरात अनुसार ऐसा बेचान दस्तावेज वादीगण के लिय शून्य व अवैध होने से प्रतिवादीगण लखाराम, पूंजाराम, मांगीलाल, निम्बाराम, हरिराम मात्र रकबा 0.6166 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी पाने के हकदार है तथा उपरोक्त खसरा नंबरान में से वादीगण कसु वगैरह रकबा 3.083 हैक्टेयर भूमि खातेदारी पाने के अधिकारी है। इसी प्रकार वादीगण द्वारा पेश वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा संख्या 326 रकबा 1.20 हैक्टेयर, भूमि में से रकबा 0.2592 हैक्टेयर भूमि नर्मदा नहर परियोजना में अवाप्त की गई तथा खसरा संख्या 334 रकबा 1.45 हैक्टेयर में से रकबा 0.557 हैक्टेयर व खसरा संख्या 335 रकबा 0.82 हेक्टेयर में से रकबा 0.09 हैक्टेयर व खसरा संख्या 333/886 में से रकबा 0.0008 हेक्टैयर भूमि यानि कुल रकबा 0.907 हैक्टेयर भूमि नर्मदा नहर में अवाप्त की गई। इस प्रकार उक्त अवाप्त की गई आराजी में खरीददार लखाराम वगैरह का रकबा 0.907 हैक्टेयर भूमि में 1/2 हिस्सा यानि रकबा 0.4535 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा प्राप्त किया गया यानि 1/12 हिस्सा अनुसार रकबा 0.6166 हैक्टैयर में से रकबा 0.4535 हैक्टेयर भूमि खरीददार लखाराम वगैरह द्वारा मुआवजा प्राप्त कर लेने से उक्त भूमि कम की जाए तो रकबा 0.1631 हैक्टेयर भूमि ही खरीददार/प्रतिवादी लखाराम, मांगीलाल, निम्बाराम, हरीराम, पूंजाराम पिसरान हीराराम नाई निवासी डडुसन हकदार है। इस प्रकार उपरोक्त आराजी नर्मदा नहर की भूमि को छोड़कर वर्तमान खसरा संख्या 1247/326 रकबा 0.8808 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1248/326 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1250/334 रकबा 0.5930 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1251/334 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1256/333 रकबा 0.1092 हेक्टैयर, खसरा संख्या 1258/335 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा संख्या 325 रकबा 1.25 हैक्टेयर, खसरा संख्या 327 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा संख्या 328 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा संख्या 329 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा सं[illegible]बा 0.12 हैक्टेयर, खसरा संख्या 333 रकबा 0.11 हैक्टेयर जुमले रकबा 6.4930 [illegible] आराजी में खरीददार/प्रतिवादी लखाराम वगैरह का रकबा 0.1631 [illegible] शेष रहती है यानि रकबा 6.4930 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा अनुसार रकबा 3.24[illegible] हैक्टेयर भूमि में से खरीददार/प्रतिवादी लखाराम, मांगीलाल, निम्बाराम, हरीराम, पूंजाराम को रकबा 0.1631 हैक्टेयर भूमि उनके खाते में व शेष आराजी रकबा 3.0834 हैक्टेयर की खातेदारी वादीगण कसु वगैरह प्राप्त करने के हकदार है। इस प्रकार प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2025.09.09 18:37:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्ट्रेक) साचौर

लखाराम वगैरह ने उक्त अवैध व शून्य बेचान दस्तावेज के जरिये खातेदारी प्राप्त की है। अतः तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में सिद्ध करने में सफल रहने से तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

2. <u>तनकी संख्या 02 :–</u> तनकी संख्या 02 के संबंध में वादीगण द्वारा जरिये प्रार्थना–पत्र के खेत खसरा संख्या 19, 20, 222, 221, के संबंध में चाही गई बंटवाडा करने के हद की इस्तदुआ को विड्रो किया गया है जिसके संबंध में वादीगण द्वारा बंटवाडा बाबत अनुतोष नहीं चाहा गया है। ऐसी सूरत में तनकी संख्या 02 में वर्णित खसरा संख्या 19, 20, 221, 222 का बंटवाड़ा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

3. <u>तनकी संख्या 03 :–</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादीगण पर होने से वादीगण द्वारा इस संबंध में गवाह पीडब्ल्यू–2 कोजाराम व पीडब्ल्यू–3 बाबुलाल के बयान लेखबद्व करवाये गये। उक्त गवाहान ने वादीगण के वाद का समर्थन करते हुए अपने सशपथ बयानों में बताया कि वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से की भूमि पर वादीगण का लगातार नहर में अवाप्त की गई भूमि को छोड़कर काश्त कब्जा है किन्तु प्रतिवादीगण वादीगण को उक्त आराजी छोड़कर चले जाने की ऐलानियां धमकियां देते है तथा तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में निर्णित होने से मौजा डडुसन के खेत खसरा संख्या 1247/326, खसरा संख्या 1248/326, खसरा संख्या 1250/334, खसरा संख्या 1251/334, खसरा संख्या 1256/333, खसरा संख्या 1258/335, खसरा संख्या 325, खसरा संख्या 327, खसरा संख्या 328, खसरा संख्या 329, खसरा संख्या 332, खसरा संख्या 333 जुमले रकबा 6.4930 हैक्टेयर में से रकबा 3.0834 भूमि पर वादीगण का काश्त कब्जा होने से वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने के हकदार होने से तनकी संख्या 03 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

4. **<u>तनकी संख्या 04 :–</u>** उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर होने से प्रतिवादीगण द्वारा मात्र जवाबदावा पेश कर उक्त आराजी रूपा से खरीदना बताया गया है किन्तु प्रतिवादीगण लखाराम वगैरह द्वारा अपने पक्ष में हुए 16 वर्ष पूर्व बेचान दस्तावेज को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। ऐसी सूरत में उक्त वाद म्याद के बाहर होना साबित करवाने में प्रतिवादीगण पूर्णतया: असफल रहने से तथा वादीगण द्वारा उक्त तनकीयात के संबंध में **डी.एन. [illegible] 01 राज0 Supp पेज संख्या 245 चौकसी एण्ड [illegible]** की नजीरात पेश कर निवेदन किया कि जब प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं करें और वादी के वाद का विरोध नहीं करें तो ऐसे वाद में डिक्री ही जावेगा। उक्त नजीरात इस प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होती है। ऐसी सूरत में तनकी संख्या 04 प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहने से तनकी संख्या 04

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:37:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

:– आदेश :–

अतः वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा डडूसन के खेत खसरा संख्या 1247/326 रकबा 0.8808 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1248/326 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1250/334 रकबा 0.5930 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1251/334 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1256/333 रकबा 0.1092 हेक्टैयर, खसरा संख्या 1258/335 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा संख्या 325 रकबा 1.25 हैक्टेयर, खसरा संख्या 327 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा संख्या 328 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा संख्या 329 रकबा 0.49 हैक्टैयर, खसरा संख्या 332 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा संख्या 333 रकबा 0.11 हैक्टेयर जुमले रकबा 6.4930 हैक्टेयर में से रकबा 3.0834 हैक्टेयर की आराजी की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जाती है तथा उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है। पक्षकारान अपना अपना खचा वहन करे, तदनुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट्रेक) सांचौर

फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर ★ जिला जालोर ★

निर्णय आज दिनांक **21.07.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट्रेक) सांचौर

फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर ★ जिला जालोर ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:37:01 IST
Reason: SelfAttested